26.12.24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

26/12/24

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर